माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प उज्जैन म0प्र0

प्र0क्र0 BR/निगरानी/आगरमालवा/भू-रा/2017/1935

अशोक कुमार पिता किशनलाल आयु 56साल जाति महाजन निवासी जामुनिया तहसील नलखेड़ा जिला आगर मालवा --- प्रार्थी

विरूद्ध

1-श्याम बिहारी मृत वारिसान :-

(1) निर्मला विधवा श्यामबिहारी

(2) पदमा पिता श्यामबिहारी

(3) भगवान पुत्र श्यामबिहारी

जाति महाजन निवासी वार्ड क्रमांक 2 नीमा कालोनी नलखेड़ा जिला आगर मालवा म0प्र0 । ---- प्रतिप्रार्थीगण

श्री एम. एम. राजपूत अभि. द्वारा केम्प उज्जैन द्वारा प्रस्तुत 22.6.17

आवेदन पत्र धारा 50 म0प्र0भू0रा0संहिता के अन्तर्गत

माननीय महोदय,

प्रार्थी की ओर से निम्न प्रार्थना पत्र पेश है :-

यह कि, श्रीमान राजस्व अनुविभागीय अधिकारी नलखेड़ा के प्र0क्र0 32 अपील 2014-15 आदेश 17.4.2017 से असंतुष्ट होकर यह पुर्नरीक्षण प्रस्तुत है :-

21-7-17

पुर्नरीक्षण का संक्षिप्त सार :-

1- यह कि, प्रार्थी व प्रतिप्रार्थी के पिता दोनो सगे भाई थे जिसमे श्याम बिहारी की मृत्यु हो जाने से प्रतिप्रार्थी वारिसान होकर प्रतिप्रार्थी के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे एक अपील नामांतरण क्रमांक 8 दिनांक 25.9.1997 मे पारित आदेश 25.10.1997 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई जिसमे धारा 5 अवधि विधान के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत किया जो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने से यह पुर्नरीक्षण निम्न कारणो से पेश है :-

21/7

पुर्नरीक्षण के आधार :-

1- यह कि, अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 17.4.2017 विधि व विधान के विपरीत होने से निरस्ती योग्य है ।

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - पीबीआर/निगरानी/आगर मालवा/भू.रा./2017/1935

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10/1/19	आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.4.19 को कलेक्टर, जिला आगर मालवा के समक्ष उपस्थित हों। प्रशासकीय सदस्य	